नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

न्यायालय परिसर में लगे हुए विभिन्न 04 पेड़ जिनमें 01 जामुन, 02 कोकाट, 01 गोल्ड मोहर, के सम्मिलित है, की नीलामी दिनांक 26.07.2017 को सायं 04:00 बजे तेरह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 8,350/–(आठ हजार तीन सौ पचास) रूपये प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 26.07.2017 को समय दोपहर 11:00 बजे तक करानी होगी। प्रथम 3 उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश महोदय मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष मे छोड़ी जायेगी। उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय अन्य कोई शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा केता को अदा करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी। उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 26.07.2017 तक नजारत अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी की सभी शर्ते नजारत अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

Vinai Kumar Dwivedi 24/06/17	24/6/17	24.6.17
(विनय कुमार द्विवेदी)	(मानवेन्द्र सिंह)	(अरूण कुमार मिश्र)
अपर जिला जज कक्ष संख्या–8/	विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/	अध्यक्ष,
सदस्य नीलाम समिति/	सदस्य नीलाम समिति/	नीलाम समिति/
जनपद न्यायालय, मेरठ।	जनपद न्यायालय, मेरठ।	अपर जिला जज कोर्ट सं0–1, मेरठ।

नीलामी की शर्ते

दिनांक 26–07–2017 को जनपद न्यायालय परिसर में लगे हुए चार विभिन्न पेड़ों की खुली नीलामी की जानी है। जिसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तो को पूर्णतया पालन करना होगा।

1– उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी, उसके पक्ष में छोड़ी जायेगी।

2– बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा धरोहर धनराशि अंकन 8,350/–रूपये धरोहर के रूप में कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद रूप में बोली से पूर्व समय दिन 11:00 बजे तक जमा कराने होगें।

3– नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे सम्बन्धित वृक्षों के पातन हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसके लिए क्रेता को पातन अनुमति शुल्क, काटे गये पौधे के स्थान पर दुगुना पौध रोपण हेतु धनराशि व नीलाम धनराशि का 5 प्रतिशत अभिवहन शुल्क भी वन विभाग के पक्ष में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय अन्य कोई शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा। क्रेता को अदा करना होगा।

4– बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बिन्धित पेड़ों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।

5– बोली जहां है, जैसा है, के आधार पर होगी।

6– नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य शेष भुगतान दिनांक 26–07–2017 तक करना होगा।

7– प्रथम तीन बोलीदाताओ की धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन बोली समाप्त हो जाने के पश्चात् कर दी जायेगी।

8– बोली की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।

9– उक्त पेड़ों को काटना व काटने के उपरान्त लेकर जाना होगा। काटने पर जो भी धनराशि व्यय होगी, उसको बोलीदाता को वहन करना होगा।

10– बोली को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

11– बोलीदाता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्कों को जमा किये जाने के पश्चात् ही पेड़ों को काटा जायेगा।

शर्तो की प्रति ससम्मान माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 23.06.2017

Vinai Kumar Dwivedi 23/06/17
(विनय कुमार द्विवेदी)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
सदस्य नीलाम समिति/
जनपद न्यायालय, मेरठ।

(मानवेन्द्र सिंह)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)
सदस्य नीलाम समिति/
जनपद न्यायालय, मेरठ।

23.6.17
(अरूण कुमार मिश्र)
अध्यक्ष,
नीलाम समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0–1, मेरठ।